http://abcaus.in

पत्र सं0-स0द0-/सामान्य निर्देश /2018-19// 185 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

(सचलदल -अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 अप्रैल ,2018

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)/(कार्यपालक),

असिस्टेन्ट कमिश्नर (सचल दल)/ वाणिज्य कर अधिकारी (सचल दल)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- मा0 न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/ आदेशों का अनुपालन ससमय किये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि सचल दल इकाई में कार्यरत अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन कार्य के दौरान की गयी कार्यवाही के विरूद्ध सबन्धित वाहन चालक / वाहन स्वामी / ट्रान्सपोटर्स / व्यापारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं में पारित निर्णय / आदेश का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पुन: याचिका दाखिल की जाती है। यह स्थिति उचित नही है।

अत: निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का ससमय अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। प्राप्त निर्णय के संदर्भ में यदि मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में विभागीय पक्ष रखा जाना हो अथवा अपील / पुनरीक्षण / पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने की स्थिति बनती हो तो त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भविष्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्यक् अनुपालन तत्काल न करने पर संबंधित अधिकारी की अनुशासनहीनता मानते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा संबंधित पर्यवेक्षक अधिकारी का भी दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(कामिनी चौहान रतन)

कमिश्नर

वाणिज्य कर,उ0 प्र0, लखनऊ।